न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नंबरः– 172/2022 प्रार्थनापत्र

अनवान

1.मदन लाल पिता नन्दलाल जाती रेगर आयु व्यस्क निवासी करेडा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2.गोपी बाई पुत्री चतरा जाती रेगर आयु व्यस्क निवासी करेडा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3.नन्दा पिता चतरा जाती रेगर आयु व्यस्क निवासी करेडा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4.प्यारी पुत्री चतरा जाती रेगर आयु व्यस्क निवासी करेडा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5.भगवतीलाल पिता मांगीलाल जाती रेगर आयु व्यस्क निवासी करेडा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
6.सायरी पत्नि मांगीलाल जाती रेगर आयु व्यस्क निवासी करेडा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

1.पारस पिता उदा जाती रेगर आयु व्यस्क निवासी करेडा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2.फेफी पत्नि उदा जाती रेगर आयु व्यस्क निवासी करेडा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3.नाथु पुत्री उदा जाती रेगर आयु व्यस्क निवासी करेडा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4.बदाम पुत्री उदा जाती रेगर आयु व्यस्क निवासी करेडा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5.शाखा प्रबंधक महोदय बैक ऑफ बडोदा शाखा करेडा
6.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपस्थित प्रार्थीगण स्वयं

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: दिंनाक 10.01.2023

प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद करेडा पटवार हल्का करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 5056, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5098 मे 1/2 व आराजी नम्बर 4806, 4807, 4817, 4818, 4819, 4820, 4823, 4825, 4826, 4832, 5092 कुल किता 13 कुल रकबा 2.0738 है0 भूमि स्थित होकर प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड़ है। प्रार्थी को उक्त वर्णित आराजियात में आने जाने का एक मात्र रास्ता जो कि उत्तर दिशा मे विपक्षीगण की आराजी नम्बर 5095, 5085, में आता–जाता है। जिसमें प्रार्थी अपनी बेलगाड़ी, संज ट्रैक्टर इत्यादि अपने पूर्वजों के समय से लाता लेजाता है जो गाड़ी गडार रास्ता बना हुआ है । उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र की [illegible] 01 में आने–जाने हेतु और कोई रास्ता नहीं है। विपक्षीगण की नियत में पिछले [illegible] रास्ते में अवरोध पैदा करते है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड़ नक्शें में दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थी [illegible] स्वीकार फरमाया जाकर सरहद करेडा पटवार हल्का करेडा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 5056, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5098 मे 1/2 व आराजी नम्बर 4806, 4807, 4817, 4818, 4819, 4820, 4823, 4825, 4826, 4832, 5092 कुल किता 13 कुल रकबा 2.0738 है0 में आने–जाने हेतु उत्तर दिशा मे विपक्षीगण की आराजी नम्बर 5095, 5085, में आता जाता में नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:18:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड़ (नक्शें) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि के लिए प्रार्थी सदैव तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुनवाई हेतु नोटिस जरिऐ रजि0 ऐडी जारी किए गए। नियत दिनांक 27.09.2022 को विपक्षीगण बावजदू सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किए गए। प्रकरण मे तहसीलदार करेडा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार करेडा से मौका रिपोर्ट अनुसार प्राथ्री के खातेदारी आ0नं0 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5098 मे 1/2 व आराजी नम्बर 4806, 4807, 4817, 4818, 4819, 4820, 4823, 4825, 4826, 4832, 5092 कुल किता 13 कुल रकबा 2.0738 है0 मे आने जाने हैतु उत्तर दिशा मे विपक्षीगण की आराजी नम्बर 5095, 5085, मे पुर्वी मेड से रास्ता है इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है आं0 नं0 5095 से 16.50 गुणा 157 लगभग 0.0263 है0 व आं0 नं0 5085 से 16.50गुणा 149 लगभग 0.0249 है0 कुल किता 02 से रास्ते के रूप मे कुल रकबा 0.0512 है0 प्रार्थीगण को विपक्षीगण से रास्ता हैतु प्रस्तावित है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे तहसीलदार करेडा स प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद करेडा पटवार हल्का करेडा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5098 मे 1/2 व आराजी नम्बर 4806, 4807, 4817, 4818, 4819, 4820, 4823, 4825, 4826, 4832, 5092 कुल किता 13 कुल रकबा 2. 0738 है0 भूमि स्थित में आने–जाने हेतु उत्तर दिशा मे विपक्षीगण की आराजी नम्बर 5095, 5085, मे पुर्वी मेड से होकर आने–जाने का एकमात्र रास्ता होने से मौका रिपोर्ट अनुसार दो गटटा चौड़ाई का रास्ता कुल रकबा 0.0512 है0 भुमि राजस्व रेकार्ड़ में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं उसी अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार करेड़ा को प्रार्थी से भूमि का प्रतिकर उतनी ही भूमि प्रार्थी के आराजी नं. 5086 रकबा 0.0632 के उत्तरी भाग में पुर्व से पश्चिम की लम्बाई का टुकड़ा रास्ते के क्षेत्रफल के बराबर खाते से कम कर विपक्षी संख्या 01 से 04 के नाम दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। तरमीम में तदनुसार संशोधन किया जावे। उक्तानुसार तहरीर तहसीलदार करेड़ा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:18:33 IST
Reason: SelfAttested